



2972/0.3160

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अनूप कुमार श्रीवास्तव
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460519520
वाद संख्या:- 19520/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम श्री प्रकाश वर्मा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 12/06/2026

प्रस्तुत वाद लेखपाल हस्तान्तरण रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमें विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2026 आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग, भूदान, ग्राम समाज की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा विक्रेता को क्रेता के पक्ष में कम्प्यूटरीकृत संख्या-202515701041071731 दिनांक 01.04.2026 को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) लखनऊ से अनुमति प्राप्त है तथा पत्रावली में विक्रय अनुमति पत्र संलग्न है। यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00177 गाटा संख्या 2972 रकबा 0.3160 हे० में से रकबा 0.0890 हे०, गाटा संख्या 1266 रकबा 0.1380 हे० में से रकबा 0.0379 हे०, कुल रकबा 0.4540 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1269 हे०, अपना सम्पूर्ण अंश मा०गु० 60ख से विक्रेता श्री प्रकाश वर्मा पुत्र राम अंजारे निवासी-जे० सुजानपुरा, आलमबाग, लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला सहायक चकबन्दी अधिकारी / नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2026 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"